न्यायालय सहायक कलक्टर औसियाँ जिला-जोधपुर

अधिकारी- रतनलाल रेगर(आर.ए.एस.)

द संख्या- 866/2020

र जरिये तहसीलदार औसियाँ

थूसिंह पि. माधोसिंह जाति राजपुत निवासी डाबडी
रसिंह पि. माधोसिंह जाति राजपुत निवासी डाबडी
नरसिंह पि. माधोसिंह जाति राजपुत निवासी डाबडी
डसिंह पि. माधोसिंह जाति राजपुत निवासी डाबडी

निर्णय दिनांक 10/1/2020

वाद अंतर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-:निर्णय:-

जरिये तहसीलदार औसियाँ के इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि तहसील औसियाँ पटवार ल सामराऊ के ग्राम भादूओ की ढाणी के जमाबन्दी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 12 के खसरा संख्या 1154 बा 17.09 किस्म बारानी IV मे गोरधनराम मोहनलाल जगदीशचन्द्र पि.पेमाराम भंवरलाल जेठाराम पि. ाबचन्द मोहनीदेवी पत्नि गुलाबचन्द जाति ब्राह्मण सा. देह बह काश्त नाथूसिंह जोरसिंह अमरसिंह मोडसिंह पि. धोसिंह जाति राजपुत सा. डाबडी खातेदार दर्ज है । रिपोर्ट तहसीलदार औसियाँ ,भू-अभिलेख निरीक्षक सामराऊ व वारी सामराऊ के मौके पर खसरा संख्या 1154 रकबा 17.09 किस्म बारानी IV पर गोरधनराम मोहनलाल ादीशचन्द्र पि.पेमाराम भंवरलाल जेठाराम पि. गुलाबचन्द मोहनीदेवी पत्नि गुलाबचन्द जाति ब्राह्मण काबिज होकर श्त कर रहे है।

उक्त पत्रावली प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया ा।लेकिन प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहे।जिससे एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई कर प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया, जिससे दावा उचित प्रतीत होता है। अत:वादी का द पत्र स्वीकार योग्य है।

-:: निर्णय ::-

अत वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसील औसियाँ के पटवार मंडल सामराऊ के ग्राम दूओ की ढाणी के खसरा संख्या 1154 रकबा 17.09 किस्म बारानी IV मे बह काश्त नाथूसिंह जोरसिंह अमरसिंह डसिंह पि. माधोसिंह जाति राजपुत सा. डाबडी का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण खसरे मे गोरधनराम मोहनलाल गदीशचन्द्र पि.पेमाराम भंवरलाल जेठाराम पि. गुलाबचन्द मोहनीदेवी पत्नि गुलाबचन्द जाति ब्राह्मण सा. देह तेदार के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते ।निर्णय अनुसार पालना हेतु तहसीलदार औसियाँ को तहरीर री हो।पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:39:38 IST
Reason: SelfAttested

रतनलाल रेगर(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर औसियाँ

आज दिनांक 10/1/2020 को निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

रतनलाल रेगर(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर औसियाँ

Scanned by CamScanner